सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00047

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 13/2017

1. नानूराम पुत्र श्री हीराराम जाति नायक निवासी राणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मदेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मदेरा तहसील श्रीगंगानगर
2. राजकीय प्राईमरी स्कूल राणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रधानाध्यापक रा0 प्रा0 विद्यालय राणुका

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम विरूद्व पटटा संख्या 12 दिनांक 18.12.2010 ग्राम पंचायत मदेरा जो की गांव राणुका के जोहड़ पायतन की जगह 80X115 फुट का गलत तथा यकतरफा तौर पर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से जारी किया गया है बमुराद मन्सूखीयां

उपस्थित :–

1. श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री शिवप्रकाश कालड़ा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 01
3. श्री भगत सिह जाखड़ अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02

आदेश **दिनांकः 28.10.2020**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' ग्राम पंचायत मदेरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 18.12.2020 गलत खिलाफ कानूनन, खिलाफ वाकेआत होने से निरस्तनीय है। पट्टा का अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि यह जोहड़ पायतन की जगह का है क्योंकि पट्टा में जो भूखण्ड का नक्शा बनाया हुआ है उसमें एक जोहड़पायतन भी दर्ज किया हुआ है। इस प्रकार से यह पट्टा वास्तव में जोहड़ की जगह का ही जारी किया गया है तथा कानूनन जोहड़ की जगह को ना तो किसी को अलाट किया जा सकता , ना ही विकय किया जा सकता है जबकि पट्टा निशुल्क जारी करने का दर्ज किया गया है तथा ग्राम पंचायत को तो किसी प्रकार से निशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं है ना ही जोहड़ पायतन की जगह में प्लाट काट कर कानूनन कोई पट्टा जारी किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट लिखा है कि जोहड़ पायतन की मूल स्थिति को बहाल करवाया जावे जबकि ग्राम पंचायत इस के लिए कानूनन पाबंद है मगर उसने तो जोहड़ की जगह का ही प्लाट बना कर पट्टा जारी किया है। पट्टा में एक ओर तो निशुल्क दर्ज किया गया है जबकि दूसरी और विकय विलेख पुराने कब्जा के आधार पर नियम 157 के अन्तर्गत नियमन का दर्ज किया है। कोई भी आबादी की जगह को नियमन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करने पर कानूनन निर्धारित राशि जमा करवाना जरूरी होता है। इस प्रकार से भी दोहरा माप दण्ड अपनाया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो पंचायत की कोई मीटिंग हुई ना ही वास्तव में कोई प्रस्ताव पास किया गया ना ही कोई कमेटी गठित की गई ना ही कमेटी ने कोई मौका मुआईना किया तथा ना ही कोई कब्जा की रिपोर्ट दी, ना ही कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया अपनाई गई। जोहड़ पर निगरानीकर्ता के पशु व गांव वासीयान के पशु पानी के लिए जाते है। अतः अगर अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा मौके पर जोहड़ पायतन की जगह पर निर्माण कार्य करवाया तो रास्ता भी बन्द होगा तथा पशुओं को पानी पिलाने आदि में भी बाधा होगी तथा समस्त गांव वासीयान को नुकसान होगा। ग्राम पंचायत ने गांव वासीयान के हितो का ध्यान ना रख कर मिली भगत करके गलत तौर से पट्टा जारी किया है जो कि निरस्तनीय है। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 12 दिनांक 18.12.2010 बहक अप्रार्थी संख्या 02 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 12 दिनांक 18.12.2010 जोहड़पायतन की जगह पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम जारी किया गया जो गलत जारी किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम जारी पट्टा नियम 157 विक्रय विलेश के तहत जारी किया गया। उक्त विवादित पट्टा जारी करते समय ना तो कोई प्रस्ताव पास किया गया, ना ही कमेटी का गठन किया गया जबकि उक्त विवादित पट्टा निशुल्क जारी किया गया है जो कानूनन गलत जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी गलत पट्टा जारी करने के कारण की गई है जबकि इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति या सुओमोटो भी निगरानी की जा सकती है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त विवादित स्थल पट्टा संख्या 12 दिनांक 12.12.2010 की जगह पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है। जोहड़ पायतन की जगह पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 12 दिनांक 18.12.2010 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :–

1. आर.आर.टी. 2005 (2) पेज– 763 से 766
2. डी.एन.जे. 2008 (2) पेज– 797 से 800
3. आर.आर.टी. 2019 (2) पेज– 1297–1298

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 12 दिनांक 18.12.2010 सार्वजनिक रा0 प्रा0 विद्यालय राणुका के नाम से जारी किया गया ताकि स्कूल में बच्चो को खेलने का ग्राउण्ड बनाया जा सकें। अतः निगरानी खारिज की जाकर पट्टा संख्या 12 दिनांक 18.12.2010 बहाल रखा जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि पट्टा संख्या 12 दिनांक 18.12.2010 प्राईमरी स्कूल के नाम से जारी किया गया है जो कि एक सार्वजनिक संस्था है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वयं का फायदा करने के लिए की गई है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टा की जगह पर अवैद्य रूप से छप्परा बनाकर बकरीयां आदि बाधंने के लिए कब्जा करने की फिराक में है। उक्त पट्टा की भूमि जोहड़पायतन की भूमि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाकर पट्टा संख्या 12 दिनांक 18.12.2010 बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त विवादित पट्टा पर मुख्य आक्षेप लगाया है कि पट्टा संख्या 12/18.12.2010 जोहड़ पायतन की भूमि पर जारी किया गया है जबकि पत्रावली में ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रमाणित होता हो कि उक्त पट्टा जोहड़ पायतन की भूमि पर जारी किया गया है। रिकॉर्ड में प्रस्तुत पट्टा संख्या 12/18.12.2010 में निशानदेही की जगह जोहड़ अंकित किया गया जैसा कि निशानदेही देते वक्त लिखते है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त पट्टा जोहड़पायतन की जगह का जारी किया गया है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 02 राजकीय प्राईमरी स्कूल राणुका को जारी निगरानीधीन पट्टा यथावत् रखा जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner